बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰(III) यो॰ –71/2016– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, पूर्णिया के बालक छात्रावास के जीर्णोद्धार/मरम्मति (जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन सहित) कार्यों के लिए कुल रू॰ 70,00,000=00 (सत्तर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, पूर्णिया के पत्रांक–19, दिनांक 04.02.2017 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णिया के पत्रांक–15 अनु, दिनांक 07.01.2017 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णिया द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर संस्थान के बालक छात्रावास के जीर्णोद्धार/मरम्मति (जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन सहित) कार्यों के लिए कुल रू॰ 70,00,000=00 (सत्तर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के ''मुख्यशीर्ष– 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0117– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)'' के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– P 4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, पूर्णिया को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णिया होगें।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, पूर्णिया से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(III) यो॰ –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(III) यो॰ –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(III) यो॰ –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/अभियंता मुख्य–सह–अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(III) यो॰ –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(III) यो॰ –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, पूर्णिया को उनके पत्रांक–19, दिनांक 04.02.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(III) यो॰ –71/2016– 530 /पटना, दिनांक– 1-3-2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/03/17

सरकार के उप सचिव

01/3/17